न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–149/13

1. लादूराम पुत्र स्व. श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व. नारायण,
2. नाथूलाल, पुत्र स्व. श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व. नारायण,
3. जयनारायण, पुत्र स्व. श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व. नारायण, समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम कुंज बिहारीपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. मोहरीदेवी पत्नी रामसहाय पुत्री जमना देवी निवासी ग्राम अचारावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर **(मृतक दौराने अपील)**

   4/1. श्रीमती शान्ति पत्नी रामस्वरूप निवासी बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

   4/2. श्रीमती गुलाब पत्नी फुलचन्द निवासी मनोहरपुरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

   4/3. प्रेम पत्नी कानाराम, जाति बाग़ड़ा निवासी श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

   4/4. गंगाराम पुत्र श्रीमती मोहरी देवी पत्नी रामसहाय,

   4/5. छीतर पुत्र श्रीमती मोहरी देवी पत्नी रामसहाय,

   4/6. लालाराम पुत्र श्रीमती मोहरी देवी पत्नी रामसहाय, समस्त जाति बागड़ा निवासी ग्राम अचरावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र भूरा राम जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी बिचपडी, तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।**(मृतक दौराने अपील)**
2. नाथी देवी पत्नी सूजामल पुत्री स्व. भूराराम जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी नांदरी तहसील फुलेरा जिला जयपुर, राजस्थान।
3. तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 19.03.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर के आदेश दिनांक 21.04.2009 (प्रकरण संख्या 585/2008) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.04.09 विधि विरूद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की विवेचना सही प्रकार से नही की है क्योंकि सम्पत्ति पैतक सम्पत्ति थी इसलिये पैतक सम्पत्ति में सभी पक्ष

न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसंमें विवाद का सम्पूर्ण निस्तारण होना शेष है, ऐसी स्थिति में न्यायालय को आदेश दिनांक 21.04.2009 देने की आवश्यकता नही थी बल्कि विवादग्रस्त भूमि के स्थानान्तरण पर स्थगन कर वास्तविक निर्णय के लिये अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करनी चाहिये थी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसूची 8 का सही विवेचन नही किया और द्वितीय श्रेणी के वारिसों के बारे में अपना निर्णय देकर भूल की है। उन्होने यह भी कथन किया है कि सक्षम न्यायालय द्वारा बिना विवाद के निपटारे के लिये अपील न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण का निरस्त किया जाना विधि के अनुकूल नही है इससे विभिन्न प्रकार की न्यायिक पैचीदगीयॉ बढेगी तथा सुगम न्याय प्राप्त करना संभव नही हो सकेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.04.2009 को निरस्त करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि विवादित भूमि भूराराम की खातेदारी भूमि थी जिसके चार उत्तराधिकारी हनुमान, रूपनारायण, जमुना देवी एवं नाथी देवी थे, भूराराम का स्वर्गवास होने पर विवादित भूमि का नामान्तरकरण चारों के नाम खुलना चाहिये था किन्तु हनुमान व रूपनारायण ने बदनीयतिपूर्वक नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया जिस नामान्तरकरण को निरस्त करने तथा अपना विधिक हिस्सा प्राप्त करने के लिये जमुनादेवी के वारिसान ने दावा प्रस्तुत कर रखा है, जो सक्षम न्यायालय में लम्बित है तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार श्रेणी द्वितीय की चतुर्थ श्रेणी में आने से पैतृक सम्पत्ति में जमुना देवी के वारिसान होने के नाते बराबर के हिस्सेदार है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.04.2009 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कनूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत मामला स्व. रूपनारायण के लाऔलाद फौत के कारण सम्पत्ति में उत्तराधिकार का है, जबकि उक्त बिन्दू नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में तय नही किये जा सकते, ना ही नामान्तरकरण की कार्यवाही में पक्षकारान के हक हकूक तय होते है, हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के मध्य विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में हक, हकूक अधिकार तय होने अभी शेष है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तथा प्रकरण

सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.04.2009 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।